

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में एफ०आर०पी० 2012 योजना के अन्तर्गत निर्गत अवशेष बन्धपत्रों के भुगतान हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को ऋण हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-384/मु०म०प्र(वि०प्र०)/निधि-प्रथम/उदय-एफ०आर०पी० बाण्ड/432, दिनांक 04 सितम्बर, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में एफ०आर०पी० 2012 योजना के अन्तर्गत निर्गत अवशेष बन्धपत्रों के भुगतान हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को ऋण हेतु प्राविधानित धनराशि रुपये 615,45,00,000/- (रुपये छः सौ पन्द्रह करोड़ पैंतालिस लाख मात्र) को स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त ऋण पर ब्याज की दर, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के कार्यालय जाप संख्या-बी-4-857/दस-2016-6/1965, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के अनुसार 14 प्रतिशत (11.5 प्रतिशत + 2.5 प्रतिशत) होगी, जो कि अन्तरिम है। भविष्य में ब्याज की प्रभावी दर लागू होने की स्थिति में, प्रभावी दर अन्तिम मानी जायेगी।

(2) नियत समय पर ऋण का/ब्याज का प्रतिदान करने की स्थिति में 2.5 प्रतिशत (दोई प्रतिशत) की छूट दी जायेगी। ऋण/ब्याज का समय से प्रतिदान करने में default की स्थिति में ब्याज दर में कोई भी छूट नहीं दी जायेगी।

(3) ऋण की कुल अवधि 10 वर्ष होगी तथा प्रतिदान छमाही आधार पर होगा।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण एफ०आर०पी० 2012 योजना के अन्तर्गत निर्गत अवशेष बन्धपत्रों के भुगतान हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को ऋण के अदायगी हेतु किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला वय्य वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक '16801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज -04-एफ0आर0पी0 2012 योजनान्तर्गत निर्गत अवशेष बन्धपत्रों के भुगतान हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को ऋण- 30- निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0-199/दस-2018, दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 102/2018/2341(1)/24-1-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

महावीर प्रसाद गौतमा
उप सचिव।